



BHULEKH
Uttar Pradesh



खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : दादों परगना : (गंगीरी) तहसील : अतरोली जनपद : अलीगढ़ फसली वर्ष : 1423-1428 भाग : 1 खाता संख्या : 00603

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
--	-------------	-----------------	------	---------

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

रामवीर सिंह / कल्लू सिंह / नि.न.झण्ड खण्ड ग्राम	6	1.4640	आदेश संच०अधि० धारा 6क के वाद सं० 51/06-06-2014 के अनुसार खा० सं० 593 के गाटा सं० 94/2.724हे० के पतानुसार पूर्ण अंश से विक्रेता हितेश कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र का नाम खारिज करके क्रेता त्रिवेनी देवी पत्नी शैतान सिंह नि०सिधौली खुर्द व मौहरवती पत्नी सुनहरीलाल नि० मुजफ्फरा का नाम दर्ज हो बतौर दि० 16-04-2014 ह०च०ले० 04-07-2014	S.B.छर्रा के गि.प.दि.5.2.97 जगवीरसिंह पुत्र कल्लूसिंह नि.झन्डा न, खाता573 पर14000 बंधक किया गया ह.ले.11.12.99
राजवीर सिंह / कल्लू सिंह / नि.न.झण्ड खण्ड ग्राम	24	0.1960	आदेश संच०अधि० धारा 6क के वाद सं० 66/22-04-2018 के अनुसार खा० सं० 593 के गाटा सं० 94/2.724हे० अपने 1/4 भाग में से 0.307हे० से विक्रेता रामवीर सिंह पुत्र कल्लू सिंह का नाम खारिज करके क्रेता राजवीर सिंह पुत्र कल्लू सिंह नि० न०झण्डा म०ग्राम का नाम दर्ज हो बतौर दि० 23-05-2014 ह०च०ले० 02-05-2018	PNB सलगवां के गिरवी पत्र दि० 04-01-2014 के खाता सं० 534.593.633 को बन्धक कर जगवीर सिंह पुत्र कल्लू सिंह ने 292000/- रुपये कर्जा लिया । ह०च०ले० 06-01-2014
रनवीर सिंह / कल्लू सिंह / नि.न.झण्ड खण्ड ग्राम	94	2.7240	आदेश संच०अधि० धारा 6क के वाद सं० 5/80/19-10-2011 के अनुसार खा० सं० 593 के गाटा सं० 94/2.724हे० अपने 0.384हे० सम्पूर्ण अंश से विक्रेता श्रीमती सन्तोष यादव पत्नी सुरेश यादव व श्रीमती गुड्डी यादव पत्नी हरीयादव नि० शाहपुर बम्हैटा जिला गाजियाबाद का नाम खारिज करके क्रेता हितेश कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र नि०ग्राम का नाम दर्ज हो बतौर दि० 04-07-2011 ह०च०ले० 19-10-2011	GBA दादों के गिरवी पत्र दि० 16-07-2014 के खाता सं० 534.593.633 को बन्धक कर रामवीर सिंह पुत्र कल्लू सिंह व गंगाश्री पत्नी रामवीर सिंह ने 300000/- रुपये कर्जा लिया । ह०च०ले० 17-07-2014
जगवीर सिंह / कल्लू सिंह / नि.न.झण्ड खण्ड ग्राम			आदेश संच०अधि० धारा 6क के वाद सं० 70/12-06-2012 के अनुसार खा० सं० 593 के गाटा सं० 94/2.724हे० के 1/2 भाग सम्पूर्ण अंश से विक्रेता रामवीर सिंह व रनवीर सिंह पुत्रगण कल्लू सिंह का नाम खारिज	GBA दादों के गिरवी पत्र दि० 25-02-2011 के खाता सं० 534.593.633.714 को बन्धक कर रामवीर सिंह पुत्र कल्लू सिंह ने 210000/- रुपये कर्जा

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बर्ही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एम.सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



		<p>करके क्रेता वीरखण्ड महाविद्यालय नगला झण्डा म० दादों द्वारा प्रबन्धक/सचिव रामवीर सिंह यादव पुत्र कल्लू सिंह यादव नि०न०झण्डा म०ग्राम का नाम दर्ज हो बतौर दि० 22-03-2012 ह०च०ले० 12-06-2012</p> <p>आदेश स०च०अधि० धारा 6क के वाद सं० 30/08-03-2013 के अनुसार खा० सं० 593 के गाटा सं० 94/2.724हे० के 1/4 भाग में से 0.307हे० से विक्रेता राजवीर सिंह पुत्र कल्लू सिंह का नाम खारिज करके क्रेता वीरखण्ड महाविद्यालय नगला झण्डा म० दादों द्वारा प्रबन्धक/सचिव रामवीर सिंह यादव पुत्र कल्लू सिंह यादव नि०न०झण्डा म०ग्राम का नाम दर्ज हो बतौर दि० 27-12-2012 ह०च०ले० 13-03-2013</p> <p>आदेश स०च०अधि० धारा 6क के वाद सं० 81/20-07-2009 के अनुसार खा० सं० 593 के गाटा सं० 94/2.724हे० के यथोचित भाग में से 0.384हे० से विक्रेता रनवीर सिंह पुत्र कल्लू का नाम खारिज करके क्रेता श्रीमती संतोष यादव पत्नी सुरेश यादव व श्रीमती गुड्डी यादव पत्नी हरी यादव नि०शाहपुर बम्हैटा जिला गाजियाबाद का नाम दर्ज हो बतौर दि० 18-08-2007 ह०च०ले० 24-07-2009</p> <p>आदेश श्रीमान उपजिलाधिकारी श्री राजपाल सिंह अतरौली के पत्रांक सं 59 वाद सं० 22/2013 दि०.25-08-2013 अन्तर्गत धारा 143 ज०वि० एवं भू०व्य०अधि० के अन्तर्गत आदेश हुआ कि खाता सं० 593 गाटा सं० 6/1.464हे० ल०46.40में से 1036/1464 भाग यानि 1.036हे० ल० 32.85 को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। तदनुसार ल० 32.85 खाते से कम किया जाये। ह०च०ले० 06-01-2014</p> <p>आदेश च०कर्ता० धारा 6क के वाद सं० 265/20-12-2017 के अनुसार खाता सं० 593.633 से मृतक रनवीर सिंह पुत्र कल्लू के स्थान पर वारिस दुरवीन व दुर्वेश व जागेश पुत्रगण रनवीर सिंह व चन्द्रवती पत्नी रनवीर सिंह नि०न०झण्डा म०ग्राम के नाम बतौर वारिस दर्ज हों। ह०च०ले० 21-12-2017</p> <p>1428फ. व आदेश तहसीलदार महोदय व रजि.का. अतरौली दिनांक 30.09.2020 के अनुपालन में चकबंदी खतौनी के खाता सं. 593 तथा वर्तमान खतौनी के खाता सं. 603 पर अंकित स.च.अ. आदेश वाद सं. 70/ 12.06.2012 तथा स.च.अ.आदेश वाद सं. 30/08.03.2013</p>	<p>लिया। ह०च०ले० 25-02-2011</p> <p>GBA दादों के गिरवी पत्र दि० 23-08-2014 के खाता सं० 534.593.633 को बन्धक कर राजवीर सिंह पुत्र कल्लू सिंह ने 275000/- रुपये कर्जा लिया। ह०च०ले० 25-08-2014</p> <p>SBI छर्नी के खाता सं० 593 पर जगवीर सिंह पुत्र कल्लू ने जो कर्जा लिया था उसे अदा कर दिया है। खाता बन्धक मुक्त किया जाता है। ह०च०ले० 27-12-2013</p>
<p>कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बर्ही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें</p> <p>Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एम.सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।</p> <p>Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.</p>		 	

			<p>में विक्रित गाटा सं. 94रकवा 2.724 हटिवश गलत अंकित है। चकबंदी की खतौनी के अनुसार विक्रित गाटा सं. 6 रकवा 1.464 है. सही अंकित हो। ह.रका. 30.09.2020</p> <p>1429फ.व आदेश रा.नि.दादों वाद सं.754004321/111/06.07.2021 के अनुसार मौजा दादों के खाता सं.429व 603व 435 से मृतक रनवीरसिंह पुत्र कल्लू के स्थान पर चन्द्रवती पत्नी रनवीरसिंह व दुर्वीनकुमार व दुर्वेश व जागेशकुमार पुत्रगण रनवीरसिंह नि.ग्राम के नाम बतौर वारिस दर्ज हो। ह.र.का.08.07.2021</p>
योग	3	4.3840	

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

